2005:सीजीएचसी: 2657

छत्तीसगढ़ ,उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 562/2004

याचिकाकर्ता- श्रीमती रामरती मार्को पति श्री समारू सिंह,
उम्र लगभग 36 वर्ष, पर्यवेक्षक, महिला एवं
बाल विकास विभाग-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ तथा
हाल मुकाम अमरपुर रोड,भारतीय स्टेट बैंक के
पीछे पेंड्रा,जिला- बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

// बनाम //

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण- **1**. छत्तीसगढ़ राज्य
द्वारा: सचिव, बाल विकास एवं समाज
कल्याण विभाग डी.के.एस.भवन रायपुर, छत्तीसगढ़

2. उप निदेशक (स्थापना) निदेशालय,
महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर, छत्तीसगढ़

3. जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास, बिलासपुर,छत्तीसगढ़

4. कलेक्टर, जिला- बिलासपुर ,छत्तीसगढ़

5. जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा, छत्तीसगढ़

6. परियोजना अधिकारी,एकीकृत बाल विकास
योजना पाली, जिला कोरबा छत्तीसगढ़।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अन्तर्गत रिट याचिका

2005:सीजीएचसी: 2657

<u>रिट याचिका क्रमांक 562/2004</u>

<u>28.01.2005</u>

याचिकाकर्ता के ओर से श्री राजेश पांडेय अधिवक्ता।

राज्य / उत्तरवादीगण के ओर से श्री संदीप दुबे पैनल अधिवक्ता।

श्रीमती इफ्फत आरा,जो वर्तमान में कोटा में उपखंड अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं,तथा श्री आनंद प्रकाश किस्पोटा,जिला कार्यक्रम अधिकारी,महिला एवं बाल विकास,बिलासपुर ,व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उन्होंने आज ही पी.आर.संख्या 662/2005 के तहत दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने के लिए आवेदन दायर किया है।

दिनांक 27.01.2005 के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता के इस स्थानांतरण को रद्द करने का दिनांक 04.08.2004 का आदेश इस आवेदन के साथ दायर किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 25.03.2003 के पूर्व स्थानांतरण आदेश (अनुलग्नक पी-1) के अनुसरण में याचिकाकर्ता को 30.08.2003 को ग्राम पाली , जिला कोरबा से बिलासपुर कार्यमुक्त किया गया था। कार्यमुक्ति का दस्तावेज (अनुलग्नक पी-2) के रूप में दाखिल किया गया है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता 08.09.2003 को बिलासपुर (अपनी नई पदस्थापना स्थान) में कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया, कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट की एक प्रति (अनुलग्नक पी-3) के रूप में दाखिल की गई है। यह याचिका दिनांक 25.03.2003 के आदेश के अनुपालन के संबंध में उचित रिट जारी करने के लिए दायर

की गई थी,क्योंकि आरोपों के अनुसार रिट याचिका में कहा गया है कि उत्तरवादीगण याचिकाकर्ता को अपने बिलासपुर कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

जवाबदावा के अवलोकन से पता चलता है की स्थानांतरण आदेश बाद में रद्द कर दिया गया था। आज दाखिल किये गये आदेश की प्रति से यह दर्शित होता है कि उक्त आदेश दिनांक 04/08/2004 को रद्द कर दिया गया था और याचिकाकर्ता को फिर से उसकी पिछली पदस्थापना स्थान अर्थात ग्राम पाली, जिला कोरबा में पदस्थ किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त निरस्तीकरण आदेश याचिकाकर्ता को कभी नहीं दिया गया और केवल इसी कारण से याचिकाकर्ता यह रिट याचिका दायर करने के लिए विवश हुआ है।

अब जवाबदावा दाखिल करने के बाद तथा दिनांक 04.08.2004 के उपरोक्त निरस्तीकरण आदेश दाखिल करने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि अब याचिकाकर्ता पाली में कार्यभार संभालेगी, क्योंकि आदेश आज ही उसे प्राप्त हुआ है जब राज्य के अधिवक्ता द्वारा उसकी प्रति उपलब्ध कराई गई है।

याचिकाकर्ता को उसके पूर्व पदस्थापना स्थान अर्थात ग्राम पाली, जिला कोरबा में कार्यभार ग्रहण करने दिया जाए।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 01.09.2003 से आज तक का वेतन नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि उसने दिनांक 25.03.2003 के

स्थानांतरण आदेश का अनुपालन किया है और उसे दिनांक 02.08.2003 को कार्यमुक्त कर दिया गया है।तथा उन्होंने दिनांक 08.09.2003 को बिलासपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया था। इसलिए उत्तरवादी कानूनन उसे वेतन देने के लिए बाध्य है।

चूँकि याचिकाकर्ता को वेतन भुगतान का मामला इस रिट याचिका का विषय नहीं है, इसलिए यह न्यायालय इस पर कोई राय व्यक्त करने के लिए इच्छुक नहीं है। हालांकि यह देखा गया है ,कि यदि पाली में कार्यभार ग्रहण करने के बाद याचिकाकर्ता इस मध्यावर्ती अवधि के लिए अपने वेतन को जारी करने के लिए संबंधित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करती है,तो उस पर विचार किया जाएगा और कानून के अनुसार उसका निपटारा किया जाएगा तथा याचिकाकर्ता को उसके हक के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ ही याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है।

प्रमाणित प्रति नियमानुसार ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरण

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

अनुवादक: छबि लाल (अधिवक्ता)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur